

Central Sanskrit University, Lucknow Campus

सं. - 03

दिनांक-09.04.2024

कार्यालय आदेश


के.सं.वि. नई दिल्ली के अध्यादेश सं.-02 के केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 29(1)(h) के खण्ड12(2)(xi) और 12(2)(xvi) के खण्ड-4 के तहत छात्रावास मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए छात्रावास समिति गठित की जाती है-

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. प्रो. सर्वनारायण झा | अध्यक्ष (निदेशक) |
| 2. प्रो. लोकमान्य मिश्र | सदस्य (वरिष्ठ आचार्य) |
| 3. डॉ. कविता बिसारिया | सदस्य (निदेशक द्वारा मनोनीत) |
| 4. डॉ. शेषमणि शुक्ल | सदस्य (मुख्य वार्डेन) |
| 5. डॉ. राहुल कुमार मिश्र | सदस्य (वार्डेन) |
| 6. डॉ. चन्द्रश्री पाण्डेय | सदस्य (वार्डेन) |
| 7. डॉ. स्वाती माजता | सदस्य |
| 8. अनुभाग अधिकारी (प्रशा.) | सचिव |
| 9. सुश्री विभा मिश्रा | छात्र प्रतिनिधि |
| 10. श्री तुषार कुमार मिश्र | छात्र प्रतिनिधि |

नोट:- प्रो. धनीन्द्र कुमार झा मार्गदर्शक के रूप पूर्व की तरह कार्य करेंगे।
उपर्युक्त समिति के निम्नलिखित कार्य क्षेत्र होंगे-


1. छात्रावास का प्रबन्ध, छात्रों का चयन, छात्रावास में प्रवेश
2. छात्रावास के लिए मार्गदर्शन
3. छात्रावासीय छात्रों अनुशासन प्रबन्धन
4. छात्रावासीय छात्रों का एक छात्रावास से दूसरे छात्रावास में स्थानान्तरण
5. परिसर निदेशक द्वारा निर्देशित अन्य कार्य

इसके अतिरिक्त समिति छात्रावासीय छात्रों के द्वारा की गयी अनुशासनहीनता के लिए चेतावनी देने, आर्थिक दण्ड देने और छात्रावास से निष्कासन करने के लिए अनुशंसा कर सकती है। समिति की एक सत्रार्द्ध में न्यूनतम 02 बार अवश्य बैठक होगी। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय समिति की बैठक हो सकती है। समिति की बैठक परिसर निदेशक की अध्यक्षता में होगी और उपवेशन के लिए कोरम निदेशक और चार सदस्यों की उपस्थिति से पूर्ण होगा।


(प्रो. सर्वनारायण झा)
निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, छात्र कल्याण संकाय, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
2. उपर्युक्त क्र. सं. 1 से 11 को सूचनार्थ
3. कार्यालय आदेश सञ्चिका
4. सम्बन्धित सञ्चिका।
5. निदेशक कार्यालय प्रति।


निदेशक